केसरसिंह बनाम कयामुद्दीन
GCMS No- 2021/266
प्रकरण संख्या 107 / 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण सं. 107 / 2021 वाद
GCMS NO.- 2021/266

1. श्री केसर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपुत आयु 33 साल निवासी रठाजना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– वादी

/ / बनाम / /

1. श्री कयामुद्दीन पिता जमालुद्दी जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
2. श्रीमती गुड्डी बानो पत्नि स्व० सिद्धिक मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
3. श्री नजीर मोहम्मद पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. श्रीमती फातेमा पुत्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क पत्नि अब्दुल करीम निवासी दारू जिला नीमच म०प्र० ।
5. श्री फिदा हुसैन पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
6. श्री बाबु मोहम्मद पिता हमीद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
7. श्रीमति मुमताज पुत्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क पत्नि जहुर मोहम्मद निवासी अठाना तह० जावद जिला नीमच म०प्र० ।
8. श्री मोजद्दीन पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
9. श्री लाल मोहम्मद पिता हमीद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. श्री हनीफ मोहम्मद पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज0।
12. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक महोदय, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
13. शाखा प्रबंधक महोदय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, निम्बाहेडा राज०

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:47 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

श्री ज्ञानचन्द धाकड़, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री ऋषभ सेठिया, अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 13 उपस्थित

::निर्णय:: दिनांक 14.07.2023

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

1. संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53,88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा में नया खाता संख्या 792 पुराना 497 की आराजी नं0 462 रकबा 0.98 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर कुल लगानी 18.62 रूपये आराजी स्थित है। इस आराजी को वादग्रस्त आराजी वाद पत्र में कहा गया है। यह कि वादग्रस्त आराजी में से वादी ने सुश्री अफसाना, सुश्री रूबीना बानो व इमरान हुसैन पुत्र पुत्रियां स्व० श्री सदीक मोहम्मद जाति मुसलमान आयु सभी बालिग निवासी केली से दिनांक 09.06.2021 को क्रय की जिसमें सुश्री अफसाना का 1/64 वां हिस्सा, इमरान हुसैन का 23/192 वा हिस्सा व रूबीना बानो का 1/64 वां हिस्सा यानि कि आराजी का 29/192 हिस्सा जो कि 0.1480 हैक्टेयर भूमि गादोला से केली रोड लगती हुई व आराजी नम्बर 461 से लगती हुई उत्तर दिशा से क्रय की तथा उसी अनुसार वादी मौके पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। यह कि वादी के विक्रेता व प्रतिवादीगण का बरसों पहले बहमी तौर से बंटवाडा हो चुका है तथा उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी सदभावी क्रेता होकर जरिये रजि० विक्रय विलेख से उक्त आराजी क्रय कर मौके पर कब्जा खास प्राप्त किया है तथा रजि० विक्रय विलेख की महत्वपूर्ण शर्ते आराजी का कब्जा प्राप्त करना व प्रतिफल का आदान प्रदान करना दोनों की पूर्ण रूप से पालना की है। यह कि वादी वादग्रस्त आराजी में से अपना 29/192 वां हिस्सा रजि० विक्रय विलेख अनुसार अंकित चारों पडोसियों के बीच का एंव काबिज अनुसार बंटवाडा कराना चाहता है। जबकि प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा कर अपनी क्रय शुदा सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी कर रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वे यदि के क्रय शुदा व उपयोग उपभोग की आराजी में कोई दख़ल अन्दाजी न स्वयं करे न किसी अन्य से करायें तथा वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 22.07.2021 को बंटवाडा कराने हेतु कहा तो इंकार हो गये। यह कि वाद कारण दिनांक 22.07.2021 को वादी से लडाई झगडा करने व वादी का हक हिस्सा नही मानने से पैदा होकर अन्दर अवधि पेश है। यह कि वादग्रस्त आराजी मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा में स्थित होकर बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी विवाद होने से इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

2. वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रविादी स. 1 से 12 बाद तामिल अनुस्थित रहे इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया। प्रतिवादी न. 13 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ सेठीया उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी क्रमांक 13 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया ।

3. बहस व साक्ष्य के उपरान्त गुण अवगुण के आधार पर दिनांक 02.05.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर निर्णय अनुसार फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक [illegible] 2023/854 दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है व विवादित भूमि मौजा केली पटवार हल्का केली का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ठि (जमाबन्दी अनुसार)	प्रस्तावित प्रविष्ठि (कब्जे अनुसार)
(केली) 792	1. कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 1/14 जाति मुलसलमान, केसरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 29/192 सा. रठांजना , गुड्डीबानु पत्नि सिद्धिकमोहम्मद 1/64, नजीरमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 1/14, फातेमा पुत्री जमालुद्दीन 1/14, फिदाहुसैन पुत्र जमालुद्दीन 1/14, बाबुमो. पुत्र हमीद 1/6, मुमताज पुत्री जमालुद्दीन 1/14, मोजद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 1/14, लालमो. पुत्र हमीद 1/6 हनीफमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 1/14 सा. केली खातेदार, रहन बदस्तुर **ग्राम–केली**, खाता संख्या 792 आराजी नं. 462 रकबा 0.98 है0 कुल लगान 18.62 रूपये।	1. केसरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत सा0 रठांजना खातेदार आ0नं. रकबा(है0) लगान 462 0.1480 2.81 (उत्तर–पूर्व दिशा) किता–1 0.1480 2.81 2. कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, रहन– ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा, निम्बाहेड़ा गुड्डीबानु पत्नि सिद्धिकमोहम्मद 154/8320, नजीरमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, फातेमा पुत्री जमालुद्दीन 245/2912, फिदाहुसैन पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, बाबु मो. पुत्र हमीद 1633/8320 रहन– बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा मुमताज पुत्री जमालुद्दीन 245/2912, मोजद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, लालमो. पुत्र हमीद 1633/8320, हनीफमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 245/2912 सा. केली खातेदार, आ0नं. रकबा(है0) लगान 462 में से शेष 0.8320 15.81 किता–1 0.8320 15.81

तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ, RAS

प्रकरण सं. 107 / 2021 वाद
GCMS NO.- 2021/266

1. श्री केसर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपुत आयु 33 साल निवासी रठाजना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– वादी

/ / बनाम / /

1. श्री कयामुद्दीन पिता जमालुद्दी जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
2. श्रीमती गुड्डी बानो पत्नि स्व० सिद्धिक मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
3. श्री नजीर मोहम्मद पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. श्रीमती फातेमा पुत्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क पत्नि अब्दुल करीम निवासी दारू जिला नीमच म०प्र० ।
5. श्री फिदा हुसैन पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
6. श्री बाबु मोहम्मद पिता हमीद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
7. श्रीमति मुमताज पुत्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क पत्नि जहुर मोहम्मद निवासी अठाना तह० जावद जिला नीमच म०प्र० ।
8. श्री मोजद्दीन पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
9. श्री लाल मोहम्मद पिता हमीद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. श्री हनीफ मोहम्मद पिता जमालुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज0।
12. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक महोदय, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
13. शाखा प्रबंधक महोदय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, निम्बाहेडा राज०

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:47 IST
Reason: SelfAttested

श्री ज्ञानचन्द धाकड़, अधिवक्ता वादी, उपस्थित
श्री ऋषभ सेठीया, अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 13 उपस्थित

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

इस वाद में दिनांक 02.05.2023 को प्राथमिक डिक्री की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व / 2023 / 854 दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ सेठीया की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुए। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा केली पटवार हल्का केली का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ठि (जमाबन्दी अनुसार)	प्रस्तावित प्रविष्ठि (कब्जे अनुसार)
(केली) 792	1. कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 1/14 जाति मुलसलमान, केसरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 29/192 सा. रठांजना , गुड्डीबानु पत्नि सिद्धिकमोहम्मद 1/64, नजीरमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 1/14, फातेमा पुत्री जमालुद्दीन 1/14, फिदाहुसैन पुत्र जमालुद्दीन 1/14, बाबुमो. पुत्र हमीद 1/6, मुमताज पुत्री जमालुद्दीन 1/14, मोजददीन पुत्र जमालुद्दीन 1/14, लालमो. पुत्र हमीद 1/6 हनीफमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 1/14 सा. केली खातेदार, रहन बदस्तुर ग्राम–केली, खाता संख्या 792 आराजी नं. 462 रकबा 0.98 है0 कुल लगान 18.62 रूपये।	1. केसरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत सा0 रठांजना खातेदार आ0नं. रकबा(है0) लगान 462 0.1480 2.81 (उत्तर–पूर्व दिशा) किता–1 0.1480 2.81 2. कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, रहन– ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा, निम्बाहेड़ा गुड्डीबानु पत्नि सिद्धिकमोहम्मद 154/8320, नजीरमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, फातेमा पुत्री जमालुद्दीन 245/2912, फिदाहुसैन पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, बाबु मो. पुत्र हमीद 1633/8320 रहन– बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा मुमताज पुत्री जमालुद्दीन 245/2912, मोजददीन पुत्र जमालुद्दीन 245/2912, लालमो. पुत्र हमीद 1633/8320, हनीफमोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन 245/2912 सा. केली खातेदार, आ0नं. रकबा(है0) लगान 462 में से शेष 0.8320 15.81 किता–1 0.8320 15.81

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आज दिनांक 14.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:47 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलेक्टर,
निम्बाहेड़ा